(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	श्रम सहायक (चतुर्थ श्रेणी)	4750-7440	1300	08
5.	चौकीदार	4750-7440	1300	03
			योग	31

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 314/सी.एन. 00002480/बजट 5/वित्त/चार 2012, दिनांक 15-05-2012 द्वारा दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2012

क्रमांक 1305/एफ 21/08/2009/13/2/ऊ.वि./कृ.जी.ज्यो.यो.—राज्य शासन द्वारा कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत कृषकों के 05 हार्स पॉवर तक के कृषि पम्प कनेक्शन अंतर्गत निर्धारित सीमा तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय की योजना दिनांक 02 अक्टूबर, 2009 से प्रभावशील की गई है. राज्य शासन द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है.

तदानुसार संशोधित कृषक जीवन ज्योति योजना निम्नानुसार है :—

1. पात्रता :—

1.1 प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य के 5 एचपी तक के एक कनेक्शन को योजना में शामिल होने की पात्रता होगी.

1.2 हितग्राही पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का बकाया नहीं होना चाहिए. भुगतान बकाया होने पर योजना की पात्रता नहीं रहेगी.

1.3 योजना में अस्थाई एवं स्थाई दोनों पात्र कृषि पंप कनेक्शन उपभोक्ता शामिल होंगे.

1.4 राज्य में सिंचाई क्षमता में वृद्धि के प्रयोजन से जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एनीकट/चिन्हित नदी-नालों के दोनों किनारों पर बिजली के तार बिछाकर पंप ऊर्जीकरण की योजना में सम्मिलित पात्र कृषक के कृषि पंप कनेक्शन योजना में सम्मिलित होंगे.

2. सुविधाएं :— योजना में पात्रताधारित अस्थाई/स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन उपभोक्ता को निम्नानुसार सुविधाएं दी जायेंगी :—

2.1 ऊर्जा प्रभार में छूट :—

(i) निम्नानुसार निर्धारित खपत की सीमा में विद्युत की खपत किए जाने पर ऊर्जा प्रभार के भुगतान से छूट होगी :—

कृषि पंप की क्षमता	निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु विद्युत खपत की सीमा
3 एचपी तक	वित्तीय वर्ष में 6,000 यूनिट तक
3 एचपी से अधिक परंतु 5 एचपी तक	वित्तीय वर्ष में 7,500 यूनिट तक

(ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिये कृषि पम्प कनेक्शन के अंतर्गत की गई विद्युत खपत पर अधिकतम सीमा नहीं रहेगी अर्थात् उनके द्वारा खपत की गई सम्पूर्ण विद्युत पर ऊर्जा प्रभार के भुगतान से छूट होगी.

2.2 **मीटर किराया में छूट :—** योजना में सम्मिलित हितग्राही को कृषि पंप कनेक्शन अंतर्गत मीटर किराया के भुगतान से छूट होगी.

2.3 **नियत प्रभार (फिक्स्ड चार्जेस) में छूट :—** योजना में सम्मिलित हितग्राही को कृषि पंप कनेक्शन अंतर्गत नियत प्रभार (फिक्स्ड चार्जेस) के भुगतान से छूट होगी.

2.4 **विद्युत शुल्क में छूट :—** योजना में सम्मिलित हितग्राही के कृषि पंप कनेक्शन के अंतर्गत एक 20 वॉट के सी.एफ.एल. बल्ब (पायलट लैंप) की विद्युत खपत पर देय विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी. इस हेतु ऊर्जा विभाग विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 की धारा-3(बी) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करेगा.

2.5 **ऊर्जा विकास उपकर में छूट :—** छत्तीसगढ़ ऊर्जा विकास उपकर संशोधन अधिनियम 2012 के अंतर्गत इस योजना के पात्र कृषि पंप उपभोक्ताओं को ऊर्जा विकास उपकर के भुगतान से छूट का लाभ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त होगा.

3. **योजना की शर्तें :—**

3.1 निःशुल्क विद्युत की सुविधा की पात्रता केवल ऐसे उपभोक्ताओं को रहेगी जिनके द्वारा अधिकतम पांच हार्स पॉवर तक के पंप का उपयोग कृषि सिंचाई में किया जायेगा.

3.2 योजनांतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य को निःशुल्क विद्युत प्रदाय प्राप्त करने की सुविधा रहेगी.

3.3 निर्धारित सीमा तक निःशुल्क विद्युत की सुविधा की पात्रता ऐसे कृषक हितग्राहियों को भी प्राप्त होगी जो शासकीय या निजी सामुदायिक सिंचाई योजना के अंतर्गत अधिकतम 05 एचपी क्षमता के सिंचाई पम्प कनेक्शन का उपयोग सिंचाई हेतु कर रहे हैं. लेकिन निःशुल्क विद्युत खपत की सीमा में योजना में शामिल समस्त पात्र कृषि पंप उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग किए जा रहे पंप की क्षमता के अनुसार आंकलित सीमा अनुसार रहेगी.

3.4 वार्षिक विद्युत खपत की सीमा की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में की जायेगी. मीटर रीडिंग के आधार पर किसी वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता द्वारा विद्युत की सकल खपत निर्धारित वार्षिक सीमा से अधिक की जाती है, तो ऐसी अवस्था में यथा स्थिति 6,000 अथवा 7,500 यूनिटों से अधिक खपत की गई यूनिटों पर प्रभावशील विद्युत दर अनुसार विद्युत देयक जारी किये जायेंगे जिनका भुगतान संबंधित उपभोक्ता को करना होगा.

3.5 योजनांतर्गत किसानों द्वारा स्थापित किए जा रहे कृषि सिंचाई पंप के लिए निम्नानुसार मापदण्डों का संतुष्ट करना आवश्यक है :—

(i) योजना अंतर्गत कृषकों द्वारा स्थापित 2 एचपी तक के सिंगल फेस कृषि पंपों का केवल आई.एस.आई. मार्का होना पर्याप्त होगा. दो एचपी से अधिक क्षमता के कृषकों द्वारा स्थापित सिंगल फेस कृषि पंप ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) के द्वारा प्रमाणित स्टार रेटेड (4 अथवा 5 स्टार) पंप सेट होना अनिवार्य होगा.

(ii) योजना अंतर्गत स्थापित समस्त कृषि पंपों के साथ पी.व्ही.सी. सक्शन पाईप, घर्षणरहित फुटवाल्व तथा उपयुक्त क्षमता का केपेसिटर लगाना अनिवार्य होगा.

3.6 ऐसे पात्र कृषक जिनके कृषि पम्प वर्तमान में ऊर्जीकृत है, को योजना लागू करने की तिथि अर्थात् 2 अक्टूबर, 2009 से अधिकतम 05 वर्ष की अवधि या पम्प बदलने की अवस्था में जो भी पहले हो,

(i) पुराने नॉन आईएसआई सिंगल फेस कृषि पम्प (2 हार्स पॉवर तक) के बदले केवल आईएसआई मार्का सिंगल फेस कृषि पम्प (2 हार्स पॉवर तक) स्थापित करना होगा,

(ii) ऊपर क्रमांक (i) को छोड़कर अन्य सभी पुराने कृषि पम्पों के बदले ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) द्वारा स्टार रेटेड (4 अथवा 5 स्टार) पम्प सेट्स स्थापित करना होगा,

(iii) वर्तमान में स्थापित जी.आई. पाईल लाइन को पी.व्ही.सी. सक्सन पाईप, सामान्य फुटवाल्व को घर्षण रहित फुटवाल्व से बदना होगा एवं उपयुक्त क्षमता का केपीसीटर स्थापित करना होगा,

ऊपर क्रमांक (i), (ii) व (iii) में वर्णित शर्तों पर पालन न करने की अवस्था में नि:शुल्क विद्युत प्राप्त करने की पात्रता समाप्त हो जाएगी,

3.7 योजनांतर्गत नि:शुल्क विद्युत की सुविधा प्राप्त करने वाले प्रत्येक सिंचाई पंप उपभोक्ता को पायलट लैम्प लगाने की सुविधा अधिकतम 20 वाट तक के सी.एफ.एल. बल्ब के उपयोग पर ही दी जाएगी.

3.8 ऐसे पात्र कृषक उपभोक्ताओं, जिन पर विद्युत देयक राशि का भुगतान बकाया हो, को इस योजना के अंतर्गत सुविधा/लाभ की पात्रता बकाया राशि के भुगतान उपरांत ही मिलेगी.

3.9 योजना अंतर्गत शासकीय, अर्द्ध शासकीय कृषि फार्म हाऊस, नगर निगम/निगमों व सार्वजनिक उपक्रम/उपक्रमों को नि:शुल्क विद्युत की पात्रता नहीं रहेगी.

3.10 योजना अंतर्गत राज्य में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एनीकट/चिन्हित नदी-नालों के दोनों किनारों पर बिजली के तार बिछाकर सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण की योजना में सम्मिलित पात्र कृषक के पंप कनेक्शन पर पात्रता की सीमा में ऊर्जा प्रभार, मीटर किराया, फिक्स्ड चार्जेस के भुगतान से छूट की सुविधा रहेगी.

3.11 योजना अंतर्गत प्रत्येक कृषि पंप उपभोक्ता को प्रति वर्ष 3 एचपी तक के कनेक्शन पर 6,000 यूनिट तथा 3 से 5 एचपी के कनेक्शन पर 7,500 यूनिट तक नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा देने के फलस्वरूप विद्युत वितरण कंपनी पर पड़ने वाले वित्तीय भार का आंकलन राज्य के विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विद्युत दरों के अनुसार किया जाएगा. तदानुसार आंकलित वित्तीय व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में अनुदान का प्रावधान कर उक्त अनुदान का अग्रिम भुगतान राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को उपलब्ध कराया जायेगा.

4. उपरोक्तानुसार शर्तों के अधीन प्रभावशील कृषक जीवन ज्योति योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित कृषक को दी जा रही सुविधा की पात्रता तत्काल समाप्त हो जायेगी.

5. ऊर्जा विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए जा सकेंगे.

6. इस संशोधित कृषक जीवन ज्योति योजना में सम्मिलित सुविधाएं/प्रावधान दिनांक 01-04-2012 से प्रभावशील होंगे. लेकिन विद्युत शुल्क से छूट एवं ऊर्जा विकास उपकर से छूट संबंधित अधिनियम में तत्संबंध में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दी जावेगी.

उपरोक्तानुसार कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत विभिन्न सुविधाएं आदेश की शर्तों के अधीन आगामी आदेश तक जारी रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

क्रमांक एफ 1-5/2005/25/1.—आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विशिष्ट संस्थाओं के लिये इकाईवार रचनाक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त पद संरचना में निम्नलिखित छात्रावास/आश्रम हेतु कॉलम-3 अनुसार स्वीकृत अधीक्षक